[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, dated, the 5th July, 2017

S.O. ___ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule IV of the said Act, namely:-

2. In the Companies Act, 2013, in Schedule IV, -

(i) in paragraph III, in sub-para (12), for the words "acting within his authority", the words "act within their authority" shall be substituted;

(ii) in paragraph VI, sub-para (2), for the words " a period of not more than one hundred and eighty days", the words "three months" shall be substituted;

(iii) in paragraph VII, in sub-para (1), for the words "in a year", the words "in a financial year" shall be substituted; and

(iv) after paragraph VIII, the following note shall be inserted, namely:-

"Note: The provisions of sub-paragraph (2) and (7) of paragraph II, paragraph IV, paragraph V, clauses (a) and (b) of sub-paragraph (3) of paragraph VII and paragraph VIII shall not apply in the case of a Government company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), if the requirements in respect of matters specified in these paragraphs are specified by the concerned Ministries or Departments of the Central Government or as the case may be, the State Governments and such requirements are complied with by the Government companies."

IndiaCode

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File Number 1/22/2013-CL-V-part]

05/07/2017

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary to the Government of India

IndiaCode

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 5 जुलाई, 2017

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अनुसूची IV में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में, -

(i) पैरा III के उप-पैरा (12) में "अपने प्राधिकार के भीतर कार्य करते हुए" शब्दों के स्थान पर "उनके प्राधिकार के भीतर कार्य करना" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पैरा VI के उप-पैरा (2) में "एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि" शब्दों के स्थान पर "तीन माह" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पैरा VII के उप-पैरा (1) में "वर्ष में" शब्दों के स्थान पर "किसी वित्त वर्ष में" शब्द रखे जाएंगे; और

(iv) उप-पैरा VIII के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के मामले में पैरा II के उप पैरा (2) और उप-पैरा (7), पैरा IV, पैरा V, पैरा VII के उप पैरा (3) के खंड (क) और खंड (ख) और पैरा VIII के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि इन पैरा में विनिर्दिष्ट विषय संबंधी अपेक्षाएं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों और इन अपेक्षाओं का अनुपालन सरकारी कंपनियों द्वारा किया जा रहा हो।"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फाइल सं. 1/22/2013-सीएल-V-पार्ट]

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

IndiaCode